[2014] 9 एस.सी.आर 14

थिम्मारेड्डी और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 903/ 2014)

21 अप्रैल, 2014

[सुरिंदर सिंह निज्जर और ए.के. सीकरी, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 – धारा 397 सपठित धारा 120 बी – डकैती – बस में - आठ अभियुक्त- विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को यह मानते हुए दोषमुक्त कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे - उच्च न्यायालय ने 8 अभियुक्तों में से 5 को दोषी ठहराया - 3 दोषी अर्थात ए-1, ए-2 और ए-5 ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की- अभिनिर्धारित: धारा 120-बी के तहत षड़यंत्र का आरोप केवल इस तथ्य के रूप में साबित नहीं किया हुआ कि पिछले दिन एकत्र हुए आठ अभियुक्त व्यक्ति कथित अपराध के होने से स्वचालित रूप से जुड़ सकते थे - उच्च न्यायालय ने केवल तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने में गंभीर त्रुटि की, और गलत तरीके से उनके संस्करण पर विश्वास किया - उच्च न्यायालय उनकी गवाही पर पूरी तरह से विचार करने के लिए बाध्य था अर्थात प्रति-परीक्षा के साथ

उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या मुख्य परीक्षा में उनका संस्करण अटल और विश्वास करने योग्य था – परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया – विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को ख़ारिज करते हुए सम्पूर्ण चर्चा की - दोषपूर्ण प्रक्रिया और अपूर्ण जांच पर प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले विचारण न्यायालय की चर्चा को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और दरकिनार कर दिया गया -अपीलार्थियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 397 सपठित धारा 120-बी के आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए– अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया गया – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएँ 161 और 166.

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि तीन अपीलार्थियों सहित आठ आरोपी व्यक्तियों ने एक षड़यंत्र रचा और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बस को रोका और हंसिया, चाकू जैसे घातक हथियार दिखाकर उसमें डकैती की। सभी अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 397 सपठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया। सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को यह मानते हुए दोषमुक्त कर दिया गया कि उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे। राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) और (3) के तहत अपील दायर की। अपील लंबित रहने के दौरान, अभियुक्तों में से एक ए-3 नामक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने शेष सात आरोपियों में से पांच को आईपीसी की धारा

397 सहपठित धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ए-4 और ए-6 को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए पाँच अभियुक्तों में से, तीन अर्थात ए-1, ए-2 और ए-5 ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1. जहां तक षड़यंत्र के आरोप का सवाल है, सत्र न्यायाधीश, इस पहलू पर पीडब्लू-19 के साथ-साथ पीडब्लू-6 की गवाही का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि षड़यंत्र का आरोप केवल तथ्य मात्र साबित नहीं हुआ है। आठ आरोपी व्यक्तियों को पिछले दिन इकट्ठा किया गया था, जो कथित अपराध के करने से स्वचालित रूप से जुड़ नहीं सका। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी षड़यंत्र के आरोप पर विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष को खारिज नहीं किया है। विचारण किये जाने वाले आठ अभियुक्तों में से पाँच अभियुक्तों को दोषी ठहराने का कारण अन्य गवाहों की गवाही है जो बस में थे और कथित तौर पर उक्त अभियुक्त व्यक्तियों को देखा था। षड़यंत्र के आरोप की स्थापना के आभाव में ए-6 और ए-4 के उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि उनका नाम किसी भी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा नहीं लिया गया था। इसलिए यह न्यायालय विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत है कि

आईपीसी की धारा 120-बी के तहत षड़यंत्र का आरोप साबित नहीं हुआ है। [पैराज 8,9] [23-ई, जी-एच; 24-जी-एच; 25-ए]

2.1. जहां तक आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप का सवाल है विचारण न्यायालय ने गवाहों की गवाही का विश्लेषण करने के बाद उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणी यह है कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के समय इन गवाहों के बयान दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे, तो इनमें से किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि उन्होंने आरोपियों को देखा था और अगर उन्हें उनके सामने लाया गया तो वे उन्हें पहचानने की स्थिति में थे। विचारण न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस नियमावली का हवाला दिया और पाया कि जांच उसमें मौजूद पहचान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय ने जांच के तरीके में भी गंभीर खामियां पाईं, गंभीर खामियां छोड़ दीं और विचारण न्यायालय के फैसले में इन खामियों को उजागर करने वाली चर्चा हुई। जहां तक आरोपी व्यक्तियों के कथित स्वैच्छिक बयान के आधार पर बरामदगी का सवाल है, विचारण न्यायालय ने पाया कि आरोपी व्यक्तियों के कथित स्वैच्छिक बयान दर्ज करते समय, दं.प्र.सं. की धारा 165 और 166 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। राज्य के बाहर के आरोपियों को दं.प्र.सं. की धारा 166 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी अन्य पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर गिरफ्तार किया गया था आगे बताया गया है कि जब

आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में लाया गया और कथित तौर पर उनके स्वैच्छिक बयान दर्ज किए गए, तो पुलिस ने बड़ी अनियमितताएं कीं जो लाइलाज थीं। [पैरा 10,17,18 और 19] [25-बी; 26-डी-जी; 28-सी; 29-ई-जी]

2.2. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, दोषपूर्ण टीआईपी के साथ साथ अभियुक्तों के संस्करण पर बरामदगी की वैधता पर विश्वास नहीं किया। इस चर्चा के साथ, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक सामग्री थी, लेकिन वह उचित संदेह से परे अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि ठोस सबूत पेश नहीं किये थे और जाँच त्रुटिपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने सभी व्यक्तियों को बरी कर दिया। [पैरा 21] [36-जी-एच; 31-ए]

3.1. उच्च न्यायालय ने केवल तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने और उनके संस्करण पर गलत विश्वास करने में गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन गवाहों ने अपने मुख्य परिक्षण में जो उल्लेख किया है, उसे बताने के आलावा, निर्णय में कोई और चर्चा नहीं है और इन सभी व्यक्तियों की गवाही को सुसमाचार सत्य के रूप में माना जाता है। उच्च न्यायालय उनकी गवाही पर संपूर्णता से विचार करने के

लिए बाध्य था, यानी जिरह के साथ-साथ उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए और यह देखने के लिए कि मुख्य रूप से जांच में उनका संस्करण अटल और विश्वसनीयता के योग्य है या नहीं। ऐसा कोई अभ्यास बिक्कुल नहीं किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को ख़ारिज करते हुए सम्पूर्ण चर्चा की है। तथ्य यह है की ऐसा करते समय विचारण न्यायालय ने अपने गई प्रक्रिया में कमजोरियों पर चर्चा की जिसके कारण इन सभी गवाहों पर अविश्वास हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा दोषपूर्ण प्रक्रिया और पर अपूर्ण जांच पर प्रतिकूल टिप्पणी करने की चर्चा को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज और दरकिनार कर दिया गया। [पैरा 25] [34 एच; 35-ए-डी]

3.2. जहाँ तक प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उनकी सत्यता को स्वीकार किया है और पीडब्लू-1 (कंडक्टर जिसने ए-1 और ए-5 की पहचान की थी), पीडब्लू-2 (ड्राइवर जिसने ए-2 की पहचान की थी), पीडब्लू-6 (पीड़ित जिसने ए-1 और ए-3 की पहचान की थी) और पीडब्लू-15 (यात्री जिसने ए-7 और ए-8 की पहचान की थी) की गवाही पर भरोसा किया है। उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि ये गवाह अपने बयान कर कायम है, उनके साक्ष्य निर्विवाद हैं और उनके साक्ष्य में कोई विसंगतियां नहीं हैं। हालांकि, ये टिप्पणियों इन गवाहों की प्रति परीक्षा को ध्यान में रखे बिना उनकी मुख्य परीक्षा के आधार पर किया है। जहाँ तक पीडब्लू-1 का संबंध है, उसने अपनी प्रति परीक्षा में रूमाल से ढके दो

व्यक्तियों के चेहरे स्वीकार कर लिए हैं। यदि ऐसा था, तो उसने यह बिलकुल भी स्पस्ट नहीं किया है कि क्या किसी भी समय उनके चेहरे खुले थे, वह कैसे और कब उनके चेहरे देख पाया। उसने दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में कोई स्पस्टीकरण नहीं दिया। उसने यह क्यों नहीं बताया कि वह दो लोगों की पहचान करने की स्तिथि में होगा। उस बयान में, वह दो व्यक्तियों को देखने के बारे में स्पस्ट रूप से चुप है। [पैरा 26] [35-ई-एच; 36-ए]

3.3. इसी तरह, जहाँ तक पीडब्लू-2, चालक का संबंध है, पीडब्लू-1 द्वारा बताई गई विशेषताओं के अलावा जो उसके मामले में लागू होती हैं, उसने अपने मुख्य परीक्षण में उल्लेख किया कि किसी ने मुझे पीछे से हाथ से मारा। उन्होंने पीछे की ओर से गर्दन पर चॉपर रखा। अपनी प्रति परीक्षा में उसने न केवल यह स्वीकार किया कि जब उसकी गर्दन के पीछे वार किया गया तो वह चिल्लाया नहीं, उन्होंने आगे विशेष रूप से कहा कि चूंकि गाड़ी चालू हालत में थी वह 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी इसलिए मुझे पीछे देखने का कोई मौका नहीं मिला। जब तक आरोपी बस से नीचे नहीं उतर गए, मैं पीछे नहीं मुड़ा। [पैरा 27] [36 -बी-सी]

3.4. जहां तक पीडब्लू-6 का संबंध है, उसने कथित तौर पर A1 और A-3 की पहचान की। इन दोनों में से ए-1 की पहचान पीडब्लू-1 द्वारा भी की जाती है। हालांकि, पीडब्लू-1 ने उल्लेख किया कि ए-1 को चेहरा ढका हुआ था। एक बार फिर उन्होंने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में

वे इन अभियुक्तों की पहचान कर सकता हैं। पीडब्लू-15 बस में एक और अन्य यात्री था जिसने ए-7 और ए-8 की पहचान की है। उन्होंने अन्य बातों के साथ कहा है कि दो व्यक्तियों ने पीडब्लू-6 की छाती पर चाकू था उसका थैला छीनकर उसकी ओर आये। उसके बाएं हाथ की कलाई पर चाकू से हमला किया गया और उसका थैला भी छीन लिया गया। पीडब्लू-6 के अनुसार, पीडब्लू-6 से बैग छीनने वाले दो व्यक्ति ए1 और ए-3 थे। हालांकि, पीडब्लू-15 ने दो अन्य व्यक्तियों अर्थात् ए-7 और ए-8 की पहचान की। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनमें से एक ने अपना चेहरा ढक रखा था, एक व्यक्ति ने कपड़े से अपना मुँह नाक तक बंद कर लिया। इन परिस्थितियाँ में, वह उस व्यक्ति की पहचान कैसे कर सका, यह नहीं बताया गया है। [पैरा 28] [36-डी-एफ]

3.5. एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वह यह कि पीडब्लू-1 के अनुसार सभी अभियुक्तों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। किसी भी गवाह द्वारा यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि इन व्यक्तियों ने कब उन रूमालों को हटा दिया और उनके चेहरे खुले हो गए जिन्हें इन गवाहों द्वारा देखा जा सकता था। बाद में पीडब्लू-1 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत बयान दिया गया। इस आशय से कि प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने बयान दिया था। इसलिए, यह स्पष्ट करना उसका काम था कि किन परिस्थितियों में वह ए-1 और ए-5 के चेहरों को एक ही आधार पर देख सकता था, उनके चेहरे अन्य गवाहों द्वारा

कैसे देखे जा सकते थे, यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। [पैरा 29] [36-जी-एच; 37-ए-बी]

हरि नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1988 (1) एससीसी 14: 1988(1) एससीआर 848; राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999(8) एससीसी 428: 1999(4) पूरक एससीआर 277-संदर्भित।

4. विचारण न्यायालय द्वारा जांच में खामियों की ओर इशारा किया गया महत्वपूर्ण हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने उन खामियों को स्वीकार भी नहीं किया है। अपीलार्थी के खिलाफ भा.दं.सं. 397 सपठित 120-बी के तहत आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। अपीलार्थी तत्काल रिहा होने के हकदार हैं। [पैरा 30,31 और 32] [37-बी-डी] [2014]

मामला कानून संदर्भः

1988 (1) एससीआर 848	संदर्भित किया गया है	पैरा 23
1999 (4) पूरक एससीआर 277	संदर्भित किया गया है	पैरा 23

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 903/2014

सीआरएलए सं.1256/2006 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के गुलबर्गा में सर्किट बेंच के निर्णय और आदेश दिनांक 01.12.2010 से।

के.एल. जनजानी, पंकज कुमार सिंह, अंकित गौर, जी.एन. रेड्डी, अपीलार्थिगण की ओर से।

सी.बी. गुरुराज और वी.एन. रघुपति, प्रतिवादी की ओर से।

ए.के.सीकरी, न्यायाधिपति

1. अवकाश अनुदत्त की गई।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्तायों की सहमति से, मामले की अंतिम सुनवाई हुई।

3. तत्काल तीन व्यक्तियों द्वारा दायर एक अपील है जिन पर पांच अन्य के साथ भा.दं.सं. की धारा 397 सपठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया था। इन अभियुक्त व्यक्तियों के विचारण के बाद, सत्र न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया क्योंकि उपरोक्त प्रावधानों के तहत इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित नहीं हुआ था। राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) और (3) के तहत अपील को प्राथमिकता देते हुए विचारण न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों में से एक, अर्थात् पी.लक्ष्मण (ए-3) की मृत्यु हो गई। शेष सात अभियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपील पर सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर 2010 के अपने फैसले में सात अभियुक्तों में से पांच को भा.दं.सं. की धारा 397 सपठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और सात साल की

अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए प्रत्येक को 50,000/- रुपये का मुआवजा देने और भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का भी निर्देश दिया गया। जिन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था, वे आरोपी संख्या 1 से 5,7 और 8 हैं। अभियुक्तों सं. 4 और 6 के संबंध में, सत्र न्यायाधीश के निर्णय को बरक़रार रखा गया कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और उक्त दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपील ख़ारिज कर दी गई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोषी ठहराए गए पांच अभियुक्तों में से केवल तीन ने वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जो ए-1, ए-2 और ए-5 हैं।

4. उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में अभियोजन का मामला बताया गया है, जिसे बिना किसी भय या विरोधाभास के पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

> "8.10.2004 को रात लगभग 10.30 बजे, एक केएसआरटीसी बस संख्या केए.36/3453 कपगल गाँव के पास मानवी-रायचूर रोड पर आगे बढ़ रही थी। उस समय, अभियुक्त संख्या 4 और अभियुक्त संख्या 6, जिन्होंने एक साथ षड़यंत्र रचा थी और डकैती करने की योजना बनाई थी, ने अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 2, अभियुक्त संख्या 3, अभियुक्त संख्या 7 और 8 और सभी को सूचना

दी। उन सभी ने अपनी योजना के अनुसार अपराध किया। तदनुसार, वे गडवाल से बस से गए और यात्रियों के रूप में रायचूर मंत्रालयम-हुबली बस में यात्रा की। ए-2 ने ड्राइवर पीडब्ल्यू.2 के गर्दन पर दरांती रखकर उसके साथ मारपीट की और उसे घायल करने की धमकी देकर बस को रोकने को कहा। बस को तुरंत रोक दिया गया। अभियुक्त संख्या 5 ने चाकू लिया और अभियुक्त संख्या 1 ने खंजर लिया और पीडब्लू 3 की छाती पर दबाया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। फिर, अभियुक्त संख्या 3 ने पीडब्लू6 का सूटकेस लूट लिया और ए-7 ने चाकू निकाल लिया और पीडब्लू-15 उदयकुमार को धमकी दी, जिसके बाएं हाथ में चोटें आईं। ए-8 ने पीडब्लू-1 से पैसों से भरा थैला छीन लिया। फिर ए-1, ए-5 और ए-8 ने पीडब्लू 13 जगदीश और पीडब्लू-7 जिलानी के दो सूटकेस को लूट लिया। उन्होंने पीडब्लू20 हनुमंतप्पा का थैला भी छीन लिया। ए-1, ए-7 और ए-8 ने शिकायतकर्ता अर्थात् बस के संचालक से नकद थैला छीन लिया। वे कुछ दूरी पर गए और सूट के डिब्बे खोले, पैसे ले गए और सामान फेंक दिया। वे एक दूरी पर गए सूट केस खोले राशी निकाली और सामान फेंक दिए। इस प्रकार सभी अभियुक्तों ने 4,47,100/- रुपये की डकैती

की। इसके बाद, शिकायतकर्ता मानवी पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। पीडब्ल्यू-2, 6, 7, 13 और 15 उसके साथ गए। पीडब्ल्यू-2, 6, 7, 13 और 15 के बयान भी दर्ज किए गए। तदनुसार, भा.दं.सं. की धारा 397 सपठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मानवी पुलिस स्टेशन द्वारा अपराध संख्या 182/2004 दर्ज किया गया और अन्वेषण शुरू किया गया। इसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और 28,000/- रुपये ए-1 से, 54,000/- रुपये ए-2 से, 32,000/- रुपये ए-3, 36,000/- रुपये ए-4 से, 35,000/- रुपये ए-5 से, 12,000 रुपये ए-6 से 500/- रुपये ए-7 से और 9,600/- रुपये ए-8 से बरामद किये गए। अपराध में प्रयुक्त हथियार उनके स्वैच्छिक बयान पर बरामद किये गए थे। विभिन्न सामान भी बरामद किए गए। अन्वेषण पूरा होने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा एक आरोप पत्र दायर किया गया और अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 397 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया।"

5. अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों को परीक्षित कराया और 78 दस्तावेज पेश किये जिन्हें प्रदर्शित किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने बचाव में दो गवाहों को परीक्षित कराया और पांच दस्तावेज पेश किये।

6. जैसा कि भा.दं.सं. के प्रावधानों से स्पष्ट है, जिस पर आरोप लगाया गया था, यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि आठ अभियुक्त व्यक्तियों ने डकैती करने का षड़यंत्र रचा था और उक्त षड़यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 8.10.2004 को केएसआरटीसी को रोककर रात लगभग 10.30 डकैती की थी। विचारण न्यायालय ने, तदनुसार, निम्नलिखित विवाधक तैयार किये जो विचार के लिए सामने आये:

> "(1) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्तों ने केएसआरटीसी बस में सीडब्ल्यू-3 वाई यूसुफ पर डकैती करने के लिए एक साथ षड़यंत्र रचा। जब वह और अन्य यात्री भी बस में यात्रा कर रहे थे?
>
> (2) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि उक्त षड़यंत्र के परिणामस्वरूप अभियुक्तों ने रायचूर मानवी रोड पर बेलमेरचाड़ क्रॉस पर कपगल सीमा के पास दरांती, चाकू जैसे घातक हथियार दिखाकर बस संख्या केए-36/3453 में डकैती की थी और डकैती डाली?
>
> (3) क्या आदेश?"

7. जाहिर है, पहला सवाल जिस पर विचार किया जाना था यह था कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने यूसुफ (पीडब्लू-6) पर डकैती करने के लिए मिलकर षड़यंत्र रचा था। मामले का दूसरा पहलू यह था कि क्या अभियोजन साबित करने में सक्षम था कि उपरोक्त षड़यंत्र के परिणामस्वरूप इन अभियुक्तों ने वास्तव में दी गई तारिख और समय पर उक्त बस में डकैती की थी।

8. जहाँ तक षड़यंत्र के आरोप का संबंध है, विचारण न्यायालय ने यह नोट किया कि इस आरोप के समर्थन में पीडब्लू-19 अल्लाबक्ष और यूसुफ (पीडब्लू-6) की साक्ष्य थी। पीडब्लू-19 का कथन था कि वह यूसुफ (पीडब्लू-6) और सीतारामुलु (ए-6) को जानता था। कथित घटना से एक दिन पहले सुबह 9.30 बजे, आठ अभियुक्तों को अभियुक्त संख्या 1 दी दुकान के पास खड़े देखा गया था, जो पेड़ के नीचे ए-6 सिद्धारमैया की दुकान से 50 किमी दूर थी। ए-6 अन्य अभियुक्तों को बता रहा था कि अगली तारीख को यूसुफ शहर बाहर जा रहा है और अन्य अभियुक्तों को अपना काम करना है। इसके बाद वे अलग हो गए। अगले दिन इस गवाह (पीडब्लू-19) को पता चला कि एक डकैती हुई थी जिसमें यूसुफ से 3.60 लाख रुपये लुटे गए थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश, इस पहलू पर पीडब्लू-19 के साथ साथ पीडब्लू-6 की गवाही का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि षड़यंत्र का आरोप केवल यह तथ्य कि पिछले दिन आठ आरोपी व्यक्तियों को इकट्ठा किया गया था, स्वचालित रूप से कथित

अपराध के कारित करने से नहीं जुड़ सकता है। इस पहलू पर विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय में प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार है:

> "आपराधिक साजिश की आवश्यकता, अपराध करने के लिए एक समझौते का अस्तित्व होना चाहिए। षड्यंत्र को प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित किया जा सकता है, हालाँकि यह शायद ही मुश्किल से हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा उपलब्ध हो। जैसा कि कानून की आवश्यकतानुसार देखा जा सकता है कि षड़यंत्र का अनुमान लगाने के लिए गैरकानूनी कार्य करने के लिए अभियुक्तों के बीच एक समझौता होना चाहिए। इस अल्लाबकश के साक्ष्य की पुष्टि किसी अन्य सबूत के साथ नहीं की गई है। वह कभी भी किसी भी गैरकानूनी कार्य के बारे में बात नहीं करता है और किसी गैर कानूनी कार्य के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच समझौते के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। इस साक्ष्य का नेतृत्व करके आवश्यक सामग्री स्थापित नहीं की गई है। पीडब्लू-19 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि अभियुक्त खुली जगह में बात कर रहे थे। जनता अभियुक्तों के अलावा गुजर रही थी। उसने नहीं सुना कि वे क्या बात कर रहे थे। उन्हें आरोपी के बारे में कोई संदेह नहीं था। घटना के दो महीने बाद पुलिस आई

और उससे पूछताछ की। सीताराम ए-6 एक व्यापारी और अच्छा इंसान है। उस दिन आरोपी जो कुछ भी बोल रहे थे, वह किसी गलत काम के बारे में नहीं था, प्रतिपरीक्षा के दौरान इस गवाह के ये जवाब स्पष्ट रूप से आपराधिक षड्यंत्र के सिद्धांत को अलविदा कहता है। इसलिए, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपराध करने के लिए अभियुक्तों के बीच एक आपराधिक षड़यंत्र था।"

9. यह उल्लेख करना प्रासंगित होगा कि उच्च न्यायालय ने भी षड्यंत्र के आरोप में विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों को खारिज नहीं किया है। जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, विचारण के आठ में से पाँच अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने का कारण अन्य गवाहों की गवाही है जो बस में थे और उन्होंने कथित रूप से उक्त अभियुक्त व्यक्तियों को देखा था। षड़यंत्र के आरोप की स्थापना के अभाव में ए-6 और ए-4 को उच्च न्यायालय द्वारा भी बरी कर दिया गया है क्योंकि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा उनका नाम नहीं लिया गया था। इसलिए हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं कि भा.दं.सं. की धारा 120-बी के तहत षड़यंत्र का आरोप साबित नहीं हुआ है।

10. जहाँ तक भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत आरोप का सम्बन्ध है, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 (बस का संचालक), पीडब्लू-2 (बस का

चालक), पीडब्लू-6 यूसुफ (पीड़ितों में से एक), पीडब्लू-7 (एक होटल का मालिक), पीडब्लू-9 (एक टेंपो में क्लीनर), पीडब्लू-16 की गवाही पर भरोसा किया था। पीडब्लू-9 की गवाही पर विचारण न्यायालय या उच्च न्यायलय द्वारा विश्वास नहीं किया गया और इसलिए उनके बयान के बारे में किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

11. पीडब्लू-1 जो बस का संचालक है और एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, शिकायतकर्ता भी था। डकैती की घटना का वर्णन करने के अलावा, उसकी गवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उसने ए-1 और ए-5 और उनके स्पष्ट कृत्यों की पहचान की थी। उसके अनुसार, छह लोग बेलमेरचाड़ क्रॉस के पास बस में सवार हुए और आरोपी 1 और 5 ड्राइवर के पास आए। ए-1 ने उस पर दरांती से हमला किया और उसे धमकी दी और उसे बस रोकने के लिए कहा। पीडब्लू-1 ने न्यायालय में गवाही देते हुए ए-1 और ए-5 की पहचान की जिसने उसका नकद थैला छीन लिया था।

12. पीडब्लू-2 (चालक) ने भी इसी तरह अपदस्थ कर दिया कि उसे हाथ से पीछे के ओर से मारा गया था और उसकी गर्दन पर एक चॉपर रखा गया था। जब उसने मुड़कर देखा तो वह आरोपी नंबर 2 था जिसने उसे अपने हाथ से मारा और उसकी गर्दन पर चॉपर रखा और परिणामस्वरूप उसे चोट लगी। उसके अनुसार उसने ए-2 की पहचान की।

13. पीडब्लू-6 जो मुख्य पीड़ित है और यात्रियों में से एक है, ने इस आशय से अपदस्थ किया कि वह अपने साथ 3,53,000 रुपये की नकदी

ले जा रहा था वह बस में चढ़ गया, जिसे दो व्यक्तियों ने जबरन रोका, जो उसके पास आये और उसकी छाती के बाईं ओर एक द्रेगर रखा। ये दो व्यक्ति ए-1 और ए-3 थे जिनकी उसने पहचान की।

14. पीडब्लू-7 एक होटल का मालिक है और उसके अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति वहाँ आए और रहे और उन्होंने उनमें से दो की पहचान की, अर्थात् ए-1 और ए-2 (इस स्तर पर हम यह भी बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय ने भी उनकी गवाही का हवाला देकर अपराध का निष्कर्ष नहीं निकाला है जो किसी भी मामले में अपराध के वास्तविक कारित करने से जुड़ा नहीं है)।

15. पीडब्लू-15 (उदयकुमार) हुबली पाइप निगम में एक बिक्री कार्यकारी प्रबंधक है। उसने अपदस्थ किया कि वह भी बस में था और ए-7 द्वारा उसके बाएं हाथ की कलाई पर चाकू से हमला किया गया था और उसका थैला छीन लिया गया। जब ए-7 ने उसका थैला लिया तो वह खड़ा हो गया लेकिन फिर से उस पर हमला किया गया। उन्होंने दो लोगों अर्थात् ए-7 और ए-8 की पहचान करते हुए कहा कि ए-7 ने उसे चाकू से घायल किया और ए-8 ने भी उस पर हमला किया।

16. उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाहों पर भरोसा करने के अलावा, जिन्होंने विचारण के समय अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ गवाही दी थी, अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद परीक्षण पहचान परेड (टीआईपी) आयोजित की गई थी। इस टीआईपी में पीडब्ल्यू.-

2, पीडब्ल्यू-6 और पीडब्ल्यू-16 को बुलाया गया और उन्होंने भाग लिया जिन्होंने क्रमशः ए-2, ए-1 और ए-3 के साथ-साथ ए-7 और ए-8 की भी पहचान की।

17. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त गवाहों की गवाही का विश्लेषण करने के बाद उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणी यह है कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के समय इन गवाहों के बयान दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे, तो इनमे से किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि उन्होंने देखा था। यदि अभियुक्त व्यक्ति को उनके सामने लाया गया तो वे उन्हें पहचानने की स्थिति में थे विचारण न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस नियमावली का हवाला दिया और पाया कि जांच उसमें मौजूद पहचान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी। इस संबंध में उनका विश्लेषण इस प्रकार हैः

> "घटना के पीड़ितों द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये उपरोक्त बयान को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि किसी भी पीड़ित ने अपराधियों की पहचान के लिए कोई सुराग नहीं दिया है. अब सवाल यह है कि इन अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस के पास क्या सामग्री उपलब्ध है, इस पर गौर करना होगा। यहां मैं कर्नाटक पुलिस नियमावली का उल्लेख करना चाहूंगा, जहां एक अध्याय दिया गया है, जो

पहचान की प्रक्रिया बताता है। उन्हें यह पता लगाना होगा कि घटना के समय कौन सी रोशनी मौजूद थी। अपराध के समय अभियुक्त को देखने के अवसर का विवरण। अभियुक्त की विशेषताओं या आचरण में कुछ भी उत्कृष्ट जिसने उसे (पहचानकर्ता) प्रभावित किया। जिस दूरी से उसने अभियुक्त को देखा और अभियुक्त के कहने के दौरान समय का संदर्भ। आईओ की ओर से केस डायरी में उपरोक्त सामग्री के साथ विस्तार से विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध केस डायरी से देखा जा सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि घटना के बाद उनके पास अभियुक्तों की पहचान थी। इसलिए, जांच एजेंसी की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने में चूक हुई है, जिससे अभियोजन पक्ष को आरोपी की पहचान करने का अवसर मिलता है। लेकिन वे इस मामले के अभियुक्तों की पहचान स्थापित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, जैसा कि उन प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों से देखा जा सकता है जिन्हें डकैतों के हाथों चोटें लगी थीं, जिन्हें अभियुक्तों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला था, उन्होंने अभियुक्तों की पहचान की विशेषताओं का कोई विवरण नहीं दिया है।

अगला चरण आता है जहां आई.ओ. को उन गवाहों से पूछताछ करने का अवसर मिलता है जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों को देखने की बात कही है। महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू-8 शंकरप्पा और पीडब्लू-9 खाजा पाशा हैं। पुलिस ने उनके बयान भी दर्ज किये, उक्त खाजा पाशा जो टेंपो क्लीनर है, उसका कहना है कि वह सुबह करीब 7 बजे गोरकल क्रॉस के पास आया, वहां उसके टेंपो में 6 लोग सवार थे. उनमें से तीन ने चप्पल नहीं पहन रखी थी और वे तेलुगू में बात कर रहे थे, उनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष थी, उन्होंने पैंट और शर्ट पहन रखा था और हाथ में प्लास्टिक का थैला था और उनके पैर कीचड़ से भरे हुए थे। उनसे भी टिकट लिया गया और वे गिलियासुगुर में उतर गये। फिर वे मंत्रालयम बस में चढ़ गये। उनका कहना है कि अगर उन्हें वह व्यक्ति दिखाया जाए तो वह उन व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं। इसलिए, इस गवाह को अभियुक्त व्यक्तियों को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला और वह अभियुक्तों की पहचान बताने में सक्षम था, जो आईओ द्वारा उसके बयान में दर्ज नहीं किए गए थे।“

18. विचारण न्यायालय ने अन्वेषण के तरीके में भी गंभीर खामियां पायीं, जिससे गंभीर कमियां रह गई और विचारण न्यायालय के निर्णय में इन खामियों को उजागर करने वाली चर्चा इस प्रकार है:

> "इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कई मूल्यवान अवसर खो दिए हैं जहाँ वे दोषियों का पता लगाने के लिए बहुत अच्छी सामग्री हो सकते हैं। मैं पहले ही ऊपर चर्चा कर चुका हूँ कि अभियुक्त व्यक्तियों की उंगलियों के निशान बस के दरवाजे के पास लगे हेंडल पर उपलब्ध थे। इन उंगलियों के निशानों को आई.ओ. द्वारा आरोपी व्यक्तियों की उंगलियों के निशानों से तुलना करने के लिए नहीं उठाया गया। दूसरे, आरोपी व्यक्तियों के पैरों के निशान कुर्दी गांव की जमीन पर उपलब्ध थे, उन्हें आरोपी व्यक्तियों से तुलना करने के लिए एजेंसी द्वारा एकत्र नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष को आरोपी को अपराध में फंसाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहचान संबंधी विशेषताएं एकत्र करनी चाहिए थीं। भौतिक पहलू नदारद हैं तो फिर वह इस आरोपी को अपराध से कैसे जोड़ पाएगा, यह बड़ा सवाल है। अत: वृत्त अधूरा है। आरोपी को अपराध से जोड़ने का लिंक मंत्रालयम में खो गया है। क्योंकि अचानक आई.ओ. ने स्वागत लॉज का दौरा किया

और रजिस्टर का सत्यापन किया और उसे किसी टिमरेड्डी के नाम पर संदेह हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि मंत्रालयम एक ऐसी जगह है, जहां पर अलग-अलग जगहों से यात्री आते हैं, जहां पर अलग-अलग जगहों से यात्री आते हैं और उनके यहां जाने के लिए सीधी बस की सुविधा नहीं है. इसलिए, वे मंत्रालयम में उतर गए और स्नान और पूजा करने के लिए कमरे ले लिए। पूजा पूरी होने के बाद, वे तुरंत कमरे खाली कर देंगे और अपने-अपने स्थानों की यात्रा जारी रखेंगे। क्या हम इससे इंकार नहीं कर सकते और हमें इस प्रकार के यात्रियों को अभियुक्तों से अलग करना होगा। फिर, आईओ को कैसे पता चला कि टिमरेड्डी आरोपी व्यक्तियों में से एक था, जिसने उसे जानकारी दी थी। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों से पता चला कि उन्होंने अभियुक्तों के संबंध में कोई पहचान संबंधी जानकारी दी है। जांच के दूसरे चरण के दौरान भी न तो शंकरप्पा और न ही खाजा पाशा ने अभियुक्तों की पहचान बताई है। तब आई.ओ. का कहना है कि एक सूचना से अभियुक्तों का सुराग मिला है। वही अभियुक्तों के संबंध में सुराग दे पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में, अधूरी जांच होती है और उस लिंक के बिना हम अपराध को आरोपी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं

और यहां अभियोजन पक्ष आरोपी के साथ अपराध का लिंक स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसलिए, अभियोजक द्वारा लिया गया निर्णय मामले की वर्तमान परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। क्योंकि आरोपी की पहचान करने के लिए जोड़ने वाला सम्बन्ध टूट चुका है।"

19. जहाँ तक अभियुक्त व्यक्तियों के कथित स्वैच्छिक के आधार पर बरामदगी का सवाल है, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त व्यक्तियों का कथित स्वैच्छिक बयान दर्ज करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 और 166 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। राज्य के बाहर के अभियुक्तों को दं.प्र.सं. की धारा 166 के तहत प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी अन्य पुलिस थाने की सीमा के भीतर गिरफ्तार किया गया था। यह आगे बताया गया है कि जब अभियुक्त व्यक्तियों को मानवी पुलिस थाने में लाया गया और उनके स्वैच्छिक बयान कथित रूप से दर्ज किए गए, पुलिस ने बड़ी अनियमितताएं कीं जो लाइलाज थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29.10.2004 को पीडब्लू-23 द्वारा तिम्मारेड्डी, वेंकटेशगौड़ा, टी.लक्ष्मण, अंजनेयल्लू, पी.ओवन्ना के संबंध में स्वैच्छिक बयान दर्ज किए गए थे। पीडब्लू-23 का कहना है कि उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सुबह 4.00 बजे तहसीलदार मानवी से 2 आधिकारिक पंचों उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्श पी-66 से पी-70

के अनुसार ए-1 से 5 तक के स्वैच्छिक बयान दर्ज किए। इसके बाद, उक्त स्वैच्छिक बयानों के आधार पर और तहसीलदार मानवी द्वारा प्रतिनियुक्त 2 आधिकारिक पंचों की उपस्थिति में, उन्होंने पंचनामा के तहत उनके घरों से नकदी बरामद करने की कार्रवाई की।

20. विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया पर निम्नलिखित तरीके से टिप्पणी की जाती हैः

> "अब सवाल यह उठेगा कि पुलिस अधिकारी ने पंच के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार से अनुरोध क्यों किया है। सरकारी अधिकारी को पंच के रूप में लेने का क्या कारण है। प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस अधिकारी को स्थानीय लोगों को पंचों के रूप में सहायता लेनी होती है, और यदि वह स्थानीय लोगों की सहायता नहीं लेता है तो उसे कारण बताना होगा। स्वैच्छिक बयान दर्ज करने से पहले वह पंच देने के लिए तहसीलदार से अनुरोध करता है कि उसे कैसे पता चला कि अभियुक्त व्यक्ति कलाकारों की वसूली के संबंध में स्वैच्छिक बयान देंगे या नहीं। फिर उन स्वेक्छिक बयानों के आधार पर सम्बंधित घरों से राशि की बरामदगी की गई बाद में, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से उनके स्वेच्छिक बयानों के अनुसार राशि

बरामद की गई थी। आई.ओ. ने पंचनामों के विवरण के बारे में नहीं बताया है जिसके तहत बरामदगी की गई थी। इसे अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य पेश करके साबित करना होगा।"

21. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, दोषपूर्ण टीआईपी के साथ साथ अभियुक्त व्यक्तियों के कहे अनुसार बरामदगी की वैधता पर विश्वास नहीं किया। इस चर्चा के साथ, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री थी जो उचित संदेह से परे आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि ठोस सबूत नहीं थे और जांच दोषपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप निचली अदालत ने सभी व्यक्तियों को बरी कर दिया।

22. उच्च न्यायालय के फैसले पर आते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1,2,6,7 और 15 की गवाही को संक्षेप में संदर्भित किया है और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उन्होंने आपस में ए-1, ए-2, ए-5, ए-7 और ए-8 की पहचान की थी। क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं जिन्होंने इन पांच अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी, विचारण न्यायालय इन गवाहों के बयानों पर विचार करने में विफल रहा और इस आशय का एक सामान्यीकृत निष्कर्ष दर्ज किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान नहीं की गई थी। मुख्य रूप से, इस आधार पर और उपरोक्त

व्यक्तियों के संस्करण को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मानते हुए, उच्च न्यायालय ने इन पाँच अभियुक्तों को दोषी ठहराया है।

23. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.एल. जांजानी, ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ करके उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में उच्च न्यायालय के विवेक पर सवाल उठाया।

(1) कथित अपराध की तारीख 8.10.2004 थी और अभियुक्त व्यक्तियों को 28.10.2004 पर गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, प्रथम टीआईपी 9.11.2004 को और दूसरी टीआईपी 30.1.2005 को आयोजित की गई थी। इसलिए, टीआईपी आयोजित करने में यह असामान्य देरी, वह भी तब जब आरोपी व्यक्तियों को कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह पहले से नहीं जानते थे, जिससे टीआईपी की पूरी प्रक्रिया अमान्य हो गई, जिसके लिए कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकी। उन्होंने समर्थन में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया हैः

हरि नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1988 (1) एससीसी 14 में, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियों पर निर्भरता रखी गई थीः

> "यहां तक कि इस आधार पर भी कि ऐसा कोई पूर्व परिचित नहीं था, अपराधियों की पहचान स्थापित करने वाले साक्ष्य एक मामले में विशेष महत्व रखते हैं, जैसा कि यहां, रात के अंधेरे में हुई डकैती का है। परीक्षण पहचान के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता

होगी। इस तरह के मामले में, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे घटना से पहले अपीलकर्ताओं को नहीं जानते थे, लंबे समय के अंतराल के बाद पहली बार कटघरे में आरोपी व्यक्तियों की उनकी पहचान अनुचित होती। इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों में (चौथा संस्करण, खंड 11, पैरा 363) यह परिच्छेद घटित होता है और स्मरण करने योग्य है:

> "यह अवांछनीय है कि गवाहों से किसी प्रतिवादी को उसके मुकदमे के दौरान पहली बार कठघरे में खड़ा करने के लिए कहा जाए; और एक सामान्य प्रथा के रूप में यह बेहतर है कि उसे पहले ही अन्य व्यक्तियों के साथ परेड पर रखा जाना चाहिए, ताकि संभावित गवाह उसे चुनने के लिए कहा जा सकता है।"

अन्य निर्णय जिस पर भरोसा किया गया वह राजेश गोविंद जगेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 (8) एससीसी 428 पर था जिसमें कानून के प्रस्ताव पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

“ए.पी. राज्य बनाम एम.वी.रमण रेड्डी (डॉ.) मामले में इस अदालत ने कहा कि जहां पहचान परेड आयोजित करने में

अस्पष्टीकृत देरी होती है, वहां किसी आरोपी की पहचान के संबंध में अभियोजन के साक्ष्य को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसे मामले में आरोपी है संदेह के लाभ का हकदार. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पहचान परेड आयोजित करने में देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण भरोसेमंद नहीं है। अभियुक्त 1 और 2 की गिरफ्तारी की तारीख से पांच सप्ताह और अभियुक्त 3 और 4 की गिरफ्तारी से तीन सप्ताह की अवधि के लिए बॉम्बे जैसे शहर में मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंबई शहर में सैकड़ों मजिस्ट्रेट उपलब्ध हैं और जांच एजेंसी किसी निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट से परेड करवाने के लिए बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय का ऐसा मानना उचित नहीं था। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कथित कठिनाइयों के कारण परेड जल्दी आयोजित नहीं की जा सकी। यह साबित करना बचाव पक्ष का काम नहीं था कि आयोजित परेड कानूनी कमज़ोरियों से ग्रस्त थी क्योंकि, माना जाता है कि, आपराधिक मामले में सबूत का दायित्व कभी नहीं बदलता क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेहों से परे, अन्यथा साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना

जाता है। . ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है और गवाह पहले से उसे नहीं जानते हैं, जांच एजेंसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह गवाहों को अपराध करने वाले कथित व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पहचान परेड आयोजित करे। अपराध. यदि आरोपी ज्ञात है या शिकायत में पर्याप्त रूप से वर्णित है तो परीक्षण पहचान की अनुपस्थिति घातक नहीं हो सकती है, जिससे अदालत के मन में उसकी संलिप्तता के बारे में कोई संदेह न रहे। ऐसी परेड उस मामले में आवश्यक नहीं हो सकती है जहां आरोपी व्यक्ति को घटना के तुरंत बाद मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमे में पहली बार आरोपी व्यक्ति की पहचान करने का साक्ष्य, अपनी प्रकृति से, स्वाभाविक रूप से कमजोर चरित्र का है। बुद्धसेन बनाम यूपी राज्य मामले में इस अदालत ने कहा था कि दोषसिद्धि के लिए साक्ष्यों में आम तौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे और किन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता या गवाह आरोपी व्यक्ति को चुनने आए और उस भूमिका का विवरण दें जो ऐसे व्यक्तियों ने निभाई थी। उचित विशिष्टता के साथ विचाराधीन अपराध। पुष्टिकरण के लिए परीक्षण पहचान को विवेक का एक सुरक्षित नियम माना

जाता है। यद्यपि पहचान की कार्यवाही का आयोजन पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है, फिर भी ऐसी कार्यवाही का उपयोग अपराध के कमीशन के लिए अदालत के सामने लाए गए व्यक्ति की संलिप्तता पर विश्वास करने या न करने के लिए पुष्टिकरण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहचान परेड का आयोजन विवेक का एक नियम होने के कारण कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से पालन किया जाना आवश्यक है। देरी, यदि कोई हो, को अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया जाना चाहिए।"

(2) उनका अगला निवेदन यह था कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-7 ने अदालत में ए-1 और ए-5 की पहचान की थी और पीडब्लू-7 ने अदालत में ए-1 और ए-2 की पहचान की थी। हालाँकि, टीआईपी आयोजित करने के समय उन्हें कभी नहीं बुलाया गया।

(3) इन सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, अर्थात अर्थात् पीडब्लू 1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-6, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-15 के संबंध में, उनका तर्क था कि उच्च न्यायालय ने मुख्य परीक्षा में उनके पक्ष को ध्यान में रखा था और प्रति परीक्षा पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, जिसने उनके बयान के झूठ को उजागर किया।

(4) आगे यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू-2 (चालक) ने स्पष्ट रूप से कहा कि बस में सवार होने वाले इन सभी व्यक्तियों के चेहरे रूमाल से बंधे हुए थी और क्योंकि उनके चेहरे छिपे हुए थे, इसलिए किसी भी गवाह द्वारा इन व्यक्तियों की पहचान करने का कोई सवाल ही नहीं था।

(5) यह भी प्रस्तुत किया गया कि निर्णय में इस बात के कोई चर्चा नहीं हुई है कि विचारण न्यायालय से कैसे गलती हुई और विचारण न्यायालय द्वारा विशेष रूप से कर्नाटक पुलिस नियमावली और दोषपूर्ण जांच के संदर्भ में दिए गए कारणों पर बिलकुल भी विचार नहीं किया गया है।

(6) विद्वान अधिवक्ता का एक अन्य निवेदन यह था कि उस समय जब उनके बयान दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे, इनमें से किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि वे दोषियों की पहचान करने की स्थिति में थे। इस प्रकार, कर्नाटक पुलिस नियमावली में निहित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था और यह इन गवाहों द्वारा विलंबित टी.आई.पी. में या न्यायालय के समक्ष बाद के चरण में सुधार का एक स्पष्ट मामला था जब उनसे गवाह के रूप में जाँच की गई।

24. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सी.बी.गुरुताज ने उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही का हवाला दिया और तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह विश्वसनीय थे और उनकी गवाही के आधार पर सजा उचित और कानूनी थी। एक तरह से, उन्होंने अपीलकर्ताओं के खिलाफ

अपराध की खोज को वापस करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में निहित चर्चा पर भरोसा किया।

25. संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद, हम इस अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने केवल तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने में गंभीर त्रुटि की है, और उनके संस्करण पर गलत विश्वास किया है। उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन गवाहों ने अपने मुख्य परीक्षण में जो कुछ भी उल्लेख किया है, उसे बताने के अलावा, फैसले में कोई और चर्चा नहीं है और इन सभी व्यक्तियों की गवाही को सुसमाचार सत्य माना जाता है। उच्च न्यायालय उनकी गवाही पर संपूर्णता से विचार करने के लिए बाध्य था, यानी जिरह के साथ-साथ उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या मुख्य परीक्षा में उनका संस्करण अटल और विश्वसनीयता के योग्य रहा है। ऐसा कोई अभ्यास बिलकुल नहीं किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचारण न्यायालय कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को खारिज करते हुए संपूर्ण चर्चा की है। ऐसा करते हुए, तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय ने अपने गई प्रक्रिया में कमजोरियों पर चर्चा की जिसके कारण इन सभी गवाहों पर अविश्वास हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा दोषपूर्ण प्रक्रिया और

अपूर्ण जांच पर प्रतिकूल टिप्पणी करने की चर्चा को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज और दरकिनार कर दिया गया है।

26. जहाँ तक प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का संबंध है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने उनकी सत्यता को स्वीकार किया है और पीडब्लू-1 (संचालक जिसने ए-1 और ए-5 की पहचान की थी), पीडब्लू-2 (वह चालक जिसने ए-2 की पहचान की थी), पीडब्लू-6 (पीड़ित जिसने ए-1 और ए-3 की पहचान की थी) और पीडब्लू-15 (यात्री जिसने ए-7 और ए-8 की पहचान की थी) की गवाही पर भरोसा किया था। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया है कि ये गवाह अपने बयान पर कायम रहे, उनके साक्ष्य निर्विवाद है और इसमें कोई विसंगतियां नहीं हैं। हालाँकि, जैसा कि बताया गया है, ये टिप्पणियाँ इन गवाहों की प्रति परीक्षा पर विचार किये बिना मुख्य रूप से उनसे पूछताछ के आधार पर हैं। जहाँ तक पीडब्लू-1 का संबंध है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में रूमाल से ढके दोनों व्यक्तियों के चेहरे को स्वीकार किया है। अगर ऐसा था, तो उसने यह बिलकुल भी स्पस्ट नहीं किया है कि क्या उनके चेहरे किसी भी समय उजागर किए गए थे कि वे कैसे और कब उनके चेहरे देख पाए। उसने दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में यह नहीं बताया कि उसने यह क्यों नहीं कहा कि वह दो व्यक्तियों की पहचान करने के स्थिति में हो। उस कथन में, वह दो व्यक्तियों को देखने के बारे में स्पष्ट रूप से चुप है।

27. इसी तरह, जहाँ तक पीडब्लू-2, चालक का संबंध है, पीडब्लू-1 द्वारा उनके मामले में लागू होने वाली बताई गई विशेषताओं के अलावा, उसने अपने परीक्षण में मुख्य रूप से उल्लेख किया कि "किसी ने मुझे पीछे से हाथ से मारा। उन्होंने पीछे से गर्दन पर चॉपर डाल दिया"। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने न केवल यह स्वीकार किया कि जब उसे गर्दन के पीछे मारा गया, तो वह चिल्लाया नहीं, उसने आगे विशेष रूप से कहा कि "मेरे लिए पीछे की ओर देखने के लिए कोई मौका नहीं था क्योंकि वाहन 20 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, में तब तक पीछे नहीं मुदा जब तक अभियुक्त बस से नीचे नहीं उतर गए।

28. जहाँ तक पीडब्लू-6 का संबंध है, उसने कथित तौर पर ए-1 और ए-3 की पहचान की। इन दोनों में से ए-1 की पहचान पीडब्लू-1 द्वारा भी की गई। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पीडब्लू-1 ने उल्लेख किया है कि ए-1 का चेहरा ढका हुआ था। फिर, उसने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में वह इन अभियुक्तों की पहचान कर सके? पीडब्लू-15 बस में एक और यात्री था जिसने ए-7 और ए-8 के पहचान की है, उसने अन्य बातों के आलावा कहा है कि दो व्यक्तियों ने पीडब्लू-6 की छाती पर चाकू मारा और उसका बैग छीन लिया और उसकी ओर आये। उसके बाएं हाथ की कलाई पर चाकू से हमला किया गया और उसका थैला भी छीन लिया गया। पीडब्लू-6 के अनुसार, पीडब्लू-6 से बैग छीनने वाले दो व्यक्ति ए 1 और ए-3 थे। हालाँकि, PW-15 ने दो अन्य व्यक्तियों A-7 और A-8 की पहचान

की। इसके अलावा उसने यह भी स्वीकार किया है कि उनमें से एक ने अपना चेहरा ढक रखा था, एक व्यक्ति ने कपडे से अपना चेहरा नाक तक बंद कर लिया था। इन परिस्थितियों में, वह उस व्यक्ति की पहचान कैसे कर सका, यह नहीं बताया गया है।

29. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, अर्थात् पीडब्लू-1 के अनुसार सभी अभियुक्तों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। यह किसी भी गवाह द्वारा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि इन व्यक्तियों ने कब रुमाल हटाया और उनके चेहरे खुले हो गए हिन्हे इन गवाहों द्वारा देखा जा सकता था। बाद में पीडब्लू-1 को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराया गया। इस आशय से कि जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने बयान दिया था। इसलिए, यह स्पष्ट करना उसका काम था कि किन परिस्थितियों में वह ए-1 और ए-5 के चेहरों को एक ही आधार पर देख सकता था, उनके चेहरे अन्य गवाहों द्वारा कैसे देखे जा सकते थे, यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

30. इस पृष्ठभूमि में, विचारण न्यायालय द्वारा बताई गई जांच में खामियां महत्वपूर्ण हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने उन खामियों को स्वीकार भी नहीं किया।

31. इसलिए, हमारी यह राया है कि अपीलार्थियों को अपराध के लिए दोषी ठहराने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय असंपोश्नीय है। तदनुसार, इसे

अपास्त किया जाता है। यह अपील इस आधार पर स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 397 सपठित धारा 120-बी के तहत आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

32. अपीलार्थी तत्काल रिहा होने के हकदार हैं और इसे तदनुसार निर्देशित किया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****